



पत्र सं०- 3121

/ E-31 / 2020

दिनांक 08-10-2024

-कार्यालय आदेश-

कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि परिषद में आमंत्रित निविदा में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं तकनीकी बिड खोलने की तिथि, अपरिहार्य कारण अंकित कर शुद्धि पत्र के माध्यम से कई बार बढ़ा दी जाती है, जबकि निविदा के सम्बन्ध में कार्यवाही, परिषद कार्यालय आदेश सं०-281/W-19/दिनांक 25.1.2007 में संलग्न गाइड लाइन्स के अनुसार किये जाने के आदेश निर्गत है। शुद्धि पत्र में मात्र अपरिहार्य कारण अंकित कर, आमंत्रित निविदा की अपलोड करने / तकनीकी बिड खोलने की तिथि बार-बार बढ़ाया जाना उचित नहीं है, इससे जहाँ निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगने की सम्भावना रहती है, वहीं काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी, निविदा आमंत्रण की संख्या में वृद्धि नहीं होती है।

अतः इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में आमंत्रित निविदाओं की तिथियों को बार-बार न बढ़ाया जाये। विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो, तो कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, शुद्धि पत्र निर्गत किया जाये तथा निविदा के सम्बन्ध में कार्यवाही, उपर्युक्त वर्णित आदेशान्तर्गत की जाये।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

[Signature]
8/10/2024
(डी० वी० सिंह)

मुख्य अभियन्ता

पृष्ठ सं०- 3121

/ E-31 / 2020

दिनांक- 08-10-2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
4. इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद मुख्यालय को परिपत्र परिषद वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

[Signature]
8/10/2024
मुख्य अभियन्ता
[Signature]